न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकाकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 287/2026

पिप्याली उर्फ जफरू पुत्र श्री मोरमल मेव, उम्र करीबन 50 साल, निवासी बालेटा, पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)

---प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

--विपक्षी

द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 154-13/2025 पुलिस थाना रैंज अकबरपुर, बाघ परियोजना सरिस्का, जिला अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 9, 27, 29, 31, 39, 50, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 संशोधित नियम 2022

उपस्थितः-

1- श्री अमजद खान, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 17.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त पिप्याली उर्फ जफरू की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 154-13/2025 पुलिस थाना रैंज अकबरपुर, बाघ परियोजना सरिस्का में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि स्टाफ के नियमित गश्त के दौरान नामी छीलावाला एनीकट के पास सांभर के शिकार की संदिग्ध स्थिति मिली। इस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी अकबरपुर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा हमराह स्टाफ को साथ लेकर छीलवाला एनीकट पहुंचे व सघनता से जांच की गई, तो जांच के दौरान छीलवाला एनीकट के अंदर पानी के पास खून के निशान मिले व खून के निशानात मिट्टी से खुर्दबुर्द करने के साक्ष्य मिली। आसपास तलाश करने पर एनीकट की पाल के पास बंदूक की डांट के दो कपडे मिले, जिनमें क्रमशः एक सियान हरा 7x7 इंच लगभग व दूसरा गहरा हरा 22x5 इंच लगभग का है, जो बीच में से जले कटे थे, जिनको मौके पर ही जब्त किया गया। तत्पश्चात अंदर नाले में तलाश करने पर पहाडी की तलहटी में धौंक की झाडियों में एक नर सांभर की खाल बरामद हुई, जिसे मौके पर जब्त किया गया। पास ही में नाले के अंदर जाने पर थोडी दूर एक नर सांभर का सिर गर्दन से काटकर अलग किया हुआ, सींग सहित मिला। वन्यजीव सांभर की खाल को देखने से प्रतीत होता है कि शिकारियों द्वारा नर सांभर को गोली मारकर शिकार किया गया हैं। आसपास और गहनता से तलाश करने पर शिकारियों के बैठने के निशानात पाये गये। शिकारियों के बैठने

के स्थान पर गुटखा, जर्दा, बीडी, माचिस वगैरह मिले, जिनको जब्त कर सील मोहर किया गया .....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 154-13/2025, पुलिस थाना रैंज अकबरपुर, बाघ परियोजना सरिस्का, अलवर पर अंतर्गत धारा 9, 27, 29, 31, 39, 50, 51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 संशोधित नियम, 2022 में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 06.01.2025 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2026 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2026 को खारिज किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2026 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में गलत व झूंठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। एफ.आई.आर. अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करवाई गई है। केवल मात्र संदेह के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध जो 04 आपराधिक प्रकरण पुलिस द्वारा बताये गये हैं, उनमें से एक प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 696/2020 में प्रार्थी/अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण के सह-अभियुक्तगण रूकमुदीन, अरसद, हारून, बम्बू खान को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर जंगल में वन्य जीवन का शिकार कर, नर सांभर को मारकर, उसके मांस को ले जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह-अभियुक्तगण से भिन्न है, क्योंकि नर

सांभर पर गोली चलाये जाने का प्रथमदृष्टया आरोप प्रार्थी/अभियुक्त पर ही है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध पूर्व में भी अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 04 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैंः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐं	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	126/2020 मालाखेडा, अलवर	-	-	341, 323, 325, 34 I.P.C.	-	-	-
2.	696/2020 मालाखेडा, अलवर	-	-	147, 148,149, 323, 34, 325, 302, 396, 397, 427 I.P.C.	-	-	-
3.	30/2016 मालाखेडा, अलवर	-	-	323, 341, 354 I.P.C.	-	-	-
4.	563/2015 मालाखेडा, अलवर	-	-	323, 341, 34 I.P.C.			

7- मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी की अनुमति के बिना रैंज अकबरपुर, सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के पास स्थित छीलावाला एनीकट वनक्षेत्र में संरक्षित वन्य जीव सांभर का शिकार कर मांस निकालने व उसके सींग व खाल आदि उतारने संबंधी धारा 9, 27, 29, 31, 39, 50, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 संशोधित नियम, 2022 के आरोप हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50(8) के अंतर्गत किए गए कथनों में नर सांभर को गोली मारना स्वीकार किया है और सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर नर सांभर को काटकर मांस को कट्टों में भरकर ले जाना भी स्वीकार किया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 04 अन्य आपराधिक प्रकरण भी लंबित है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का आदतन अपराधी होना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 15.01.2026 को खारिज किये जाने के पश्चात प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में इस प्रकार का सारभूत अंतर आना प्रकट नहीं होता है, जिसके आधार पर यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। इस स्टेज पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों,

परिस्थितियों, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लंबित आपराधिक इतिहास को देखते हुये, प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त पिप्याली उर्फ जफरू पुत्र श्री मोरमल मेव की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर